

फर्द अहकाम




(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

लाला बनाम चुन्या वगै०

किस्म मुकदमा दावा 212 आर.टी.ए.

मु० नं० २/१५२ सन-2025

रीख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">20 25 / 259</div>	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.2025	<p>प्रार्थी वकील ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के साथ-साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा </p> <p style="text-align: center;"> 01/08/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त है। आइन्दा दिनांक 03/08/25 को पेश हो।  सिद्ध </p> <p style="text-align: center;"> 03/08/25 पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलवाई गई। किन्तु वादी/वादी वकील दौखर अदालत नहीं जाये। इस लिये मूल वाद अदम हाजरी/अदम परवीनि वगैरेज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी अदम हाजरी अदम परवीनि वगैरेज किया जाता है। पत्रावली फॉसल सुमार होकर सबरसे काम हो सैलम मूल वाद रहे।  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलकर) </p>	